



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 05.01.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि बिसंडा रोड ग्राम गुरेह के पास दो व्यक्ति संदिग्ध रूप से घूम रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर दोनों व्यक्तियों को पकड़कर पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद हुए।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरविन्द पुत्र रामप्यारे निवासी जमालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
2. मनोज पुत्र शिवशरण निवासी महोखर थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 06/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार तिवारी
2. कां0 विनोद कुमार
3. कां0 कृष्णकान्त
4. कां0 अजय यादव
5. कां0 हरिश्चन्द्र